इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email – sanchi13a@gmail.com

!! सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु तृतीय अल्पकालीन ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से सॉची घी वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा के माध्यम से Online दरें दिनांक 20.12.2022 तक आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम. पी.सी.डी.एफ. की वेब साईट sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 1,000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यत्र कही भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक 6159 दिनांक 13.12.2022 **आवेदन मूल्य रू. – 1000.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से इन्दौर शहर मे साँची घी वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु तृतीय अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र

निविदा आवेदन पत्र

वर्ष 2022 - 2023

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

☙ सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु तृतीय अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र ❧

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	20-12-2022 दोप. 12.00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	▪	20-12-2022 दोप. 12.00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	▪	21-12-2022 दोप. 01.00 बजे।
(4)	निविदा के साथ जमा की की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र)
(5)	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकि अर्हताओं का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(6)	सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
(7)	सामान्य जानकारी आवेदन पत्र	▪	प्रपत्र 03
(8)	विपणन मार्ग की जानकारी	▪	प्रपत्र 04
(9)	''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन)	▪	प्रपत्र 05

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची घी सुपरस्टाकिस्ट हेतु दिनांक ..... को ..... समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

–=0 तकनीकी अर्हतायें 0=–

क्रं.	**आवश्यक अर्हताएँ**	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	सॉची घी वितरण हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम 02 वाहन 02 से 04 टन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें या नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
7.	निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस का होना अनिवार्य होगा अथवा इस हेतु किए गए ऑनलाईन आवेदन की प्रति तकनीकि बिड के साथ संलग्न करे।	
8.	इनकम टेक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 तीनों वर्षो की आई.टी.आर. की प्रति प्रस्तुत करना होगी। (टेंडर आई.डी. नंबर 2022_MPCDF_232559_1 मे दिनांक 25.11.2022 को किए गए संशोधन अनुसार)	
9	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 तीनों वर्षो का कुल रूपये 100.00 करोड का टर्नओवर होना अनिवार्य है। टर्नओवर हेतु वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का सी.ए. द्वारा प्रमाणित जिसमें यु.डी.आय.एन. नम्बर एवं व्यवसाय का प्रकार सहित प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। एफ.एम.सी.जी. व्यवसाय में न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभवधारी ही पात्र होंगे।(टेंडर आई.डी. नंबर 2022_MPCDF_232559_1 मे दिनांक 25.11.2022 को किए गए संशोधन अनुसार)	
10	आवेदनकर्ता के विरूद्ध वर्तमान मे किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो एवं किसी भी पुलिस थाने मे कोई प्रकरण दर्ज न हो अथवा कोई प्रकरण विचाराधीन हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से प्रमाणित कर संलग्न करें। नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
11	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
12	एमपीसीडीएफ के भंडार–क्रय नियम की उपकण्डिका क्र. 8.04 के अनुसार ''यदि किसी भी निविदाकार को निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।'' तदाशय का रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें। **संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।**	
13	वर्तमान में दुग्ध संघ मे कार्यरत दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ के दुग्ध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा दुग्ध संघ से भी एन.ओ.सी. प्राप्त कर तकनीकि बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. हेतु **प्रपत्र क्र. 05 संलग्न है।**	
14	निविदाकार द्वारा संपूर्ण इन्दौर शहर के 19 झोन मे सॉची घी वितरण हेतु एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करना होगी। जिसके अंतर्गत पृथक–पृथक विपणन मार्ग पर संचालित वाहन के कि.मी., मार्गों पर माह मे ट्रीप, वाहन की क्षमता का उल्लेख करते हुए परिवहन व्यय लागत की शीट पृथक से लगाना होगी।	
15	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	
16	निविदाकर्ता के पास घी के निर्धारित मापदंड अनुसार ठण्डे, स्वच्छ, धूल व नमी रहित स्थान पर धूप से बचाकर भंडारण हेतु स्वयं/किराए का गोडाउन, क्षमता 10 मीट्रिक टन का तथा गोडाउन के दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर – – – – – – – – –
नाम – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
दूरभाष/मोबाईल नम्बर – – – – – – – – –

(समान्य शर्ते)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची घी सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता तृतीय अल्पकालीन ई–निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रू. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 50.00 लाख नकद आर.टी.जी. एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे एवं राशि रूपये 50.00 लाख की बैंक ग्यारंटी इन्दौर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय मे एक माह मे जमा करना अनिवार्य होगा सॉची घी विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि मे किया जावेगा।

4) सफल निविदाकार को घी के निर्धारित मापदंड अनुसार ठण्डे, स्वच्छ, धूल व नमी रहित स्थान पर धूप से बचाकर भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही वितरण कार्य मे लगाए जाने वाले कम से कम दो वाहन जिसकी परिवहन क्षमता 02 से 04 मी.टन (प्रत्येक वाहन की पृथक–पृथक) होकर तीन ओर से कवर्ड, एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, जिससे दुग्ध संघ के मापदंड अनुसार विज्ञापन को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा तथा उसे प्रतिवर्ष बदलना होगा। इस संबंध मे आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होंगे। वाहन पर संलग्न किए जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाईल नंबर आदि) वैध लाईसेंस की छायाप्रति कार्यालय मे देना होगी। इसी तरह उक्त स्टॉफ मे यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्तानुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिए भी रहेंगे।

5) सफल निविदाकार को वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जब तक वाहन स्वयं के नाम से उपलब्ध नही हो तब तक कार्य जारी रखने के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।

6) मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायियों को ई–निविदा मे प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी परंतु एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

7.1) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को कार्य क्षेत्र मे सभी पार्लर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।

7.2) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को आवश्यकता अनुसार वाहन संचालित करना होगा।

7.3) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची घी की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई–मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संयंत्र को देना होगी।

7.4) सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे सॉची घी लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि घी हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, लीकेज, वजन, पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा।

7.5) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा सॉची घी विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम राशि दुग्ध संघ खाते मे जमा करने के पश्चात् ही साँची घी प्रदाय किया जावेगा (जमा प्रतिभूति राशि शामिल नही है।) राशि जमा नहीं होने पर घी प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि घी प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जा सकती है।

7.6) सफल निविदाकार को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम संचालित बैंक खाते के अकाउण्ट–पे रेखांकित पांच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम में दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

7.7) सफल निविदाकार को इन्दौर नगर निगम के न्यूनतम 19 झोन हेतु पृथक–पृथक सॉची घी विक्रय हेतु वितरक नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक विपणन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं जहॉ वितरक नही है उस क्षेत्र के लिए नवीन वितरक नियुक्त करना होगा। अनुमोदन पश्चात प्रतिभूति राशि जमा करवाकर त्रिपक्षीय अनुबंध करवाना होगा।

7.8) संपूर्ण इन्दौर शहर मे घी वितरण हेतु वाहन संचालित करना होगा।

7.9) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान मे प्रचलित निर्धारित मार्जिन वितरक/विक्रेताओं को देना अनिवार्य होगा, जो समय–समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।

7.10) सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को सॉची घी विक्रय हेतु इन्दौर शहर मे भंडारण हेतु पृथक से व्यवस्था करना होगी।

7.11) इस ई–निविदा मे सॉची घी विक्रय पर सुपरस्टाकिस्ट को वर्तमान मे दिया जाने वाला मार्जिन को परिवहन दर मे शामिल किया गया है। इसको ध्यान मे रखते हुए निविदाकार द्वारा ऑनलाईन परिवहन दरें प्रति लीटर/प्रति किलो मे प्रस्तुत करेंगे तथा दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता को वितरक दर पर घी प्रदाय किया जावेगा। सफल सुपरस्टाकिस्ट द्वारा परिवहन देयक प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। पृथक से मार्जिन देय नही होगा।

8) इन्दौर शहर मे सॉची घी विक्रय हेतु नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपरस्टॉकिस्ट को कम से कम पॉच योग्य प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर रखना होगा एवं उनकी आवश्यकतानुसार वृद्धि करना होगा।

9) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की दरो में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की स्थापित प्रणाली से होगा।

10) ई–निविदा मे प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

11) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

12) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को सॉची घी प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि शामिल नही होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।

13) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची घी के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2017 या उसके बाद के मॉडल) की व्यवस्था भी करना होगी।

14) निविदाकर्ता का चयन होने के पश्चात कार्य के दौरान क्षेत्र के किसी भी वितरक से यह शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हें सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा घी प्रदाय नही किया गया है, प्रमाणित होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को घी वितरण कार्य से पृथक किया जावेगा।

15) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण/विक्रय हेतु इन्दौर शहर हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

16) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को **एक माह** का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को **एक माह** का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (सॉची घी) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।

17) संघ से क्रय किए गए घी की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

18) सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपरस्टाकिस्ट को स्वयं के व्यय से करना होगी।

19) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

20) किसी भी निविदा को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

21) निविदा मे प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

22) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

23) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

24) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता, उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची घी विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगें। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।

25) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

26) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

27) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

28) प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

29) इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र इंदौर शहर का न्यायालय में रहेगा।

30) टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

31) सफल निविदाकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी–देनेदारी का निराकरण करेगा।

32) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र. (03) एवं (04) रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्र. 05 दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकि विवरण प्रपत्र क्र. 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य आवंटन की सामान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है, यदि भविष्य में मेरे प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते है तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे द्वारा दुग्घ संघ के समस्त निर्देशो का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नाम – ..... **हस्ताक्षर**

सॉची घी सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु तृतीय अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र

प्रपत्र 03

1. निविदाकर्ता का नाम–.....
.
2. पिता/पति का नाम– .....
3. शैक्षणिक योग्यता– .....
4. स्थाई पता– .....

.....

5. ई–मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें – .....

स्वहस्ताक्षरित फोटो लगावें

(आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)

6. पत्र व्यवहार का पता– .....

(दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)

7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य– .....

व्यवसाय स्थान का पता – .....

(दूरभाष नंबर सहित)

8. वित्तीय स्थिति– .....

घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की व्यवस्था– हाँ/नही

9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता– .....

.....

2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता– .....

सॉची घी सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु निविदा के संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

दिनांक – ..... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पूरा नाम .....

(रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 04

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं ..... पिता/पति श्री ..... स्थायी पता .... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता / कहती हूँ कि :–

1. **" यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।"**

2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान मे किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरूद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है/चल रहा है।

   यह कि उपरोक्त मे से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते है।

गवाह–

1) नाम– .....
   पता–.....
   आधार कार्ड नं.....
   मो.नं. .....
2) नाम– .....
   पता– .....
   आधार कार्ड नं.....
   मो.नं.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम– .....
पता– .....
.....
मो.नं. – .....

प्रपत्र 05

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/मेसर्स ..... वर्तमान में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर के साथ ..... के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक को इनका खाता नियमित है।

अतः मेसर्स ..... द्वारा सॉची घी वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु जारी की गयी ई–निविदा में भाग लिया जाता है, तो इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को कोई आपत्ति नही है।

जारी दिनांक .....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,इंदौर

<u>वित्तीय बीड (केवल ऑन लाइन भरें)</u>

<u>(केवल अवलोकन हेतु)</u>

प्रपत्र 06

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी ई–निविदा में सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट सह–परिवहनकर्ता कार्य करने के लिए मै/हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	संपूर्ण इन्दौर शहर मे सॉची घी वितरण/परिवहन हेतु दर प्रति लीटर/ प्रति किलो समस्त कर सहित प्रस्तुत करें।
अंकों में	**रू. .....** **(केवल ऑन लाइन अंकित करें)**
शब्दों में	**रू.....** **(केवल ऑन लाइन अंकित करें)**

नोट–

निविदाकार द्वारा अंकों तथा शब्दों में दोनो अनिवार्यतः दरें प्रस्तुत की जाये। यदि अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरें मान्य की जावेगी।

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्र. 07

यह अनुबंध (निविदा सूचना क्र. ..... दिनांक .....) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,इंदौर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) एवं श्री/श्रीमती/मेसेर्स.....आत्मज/पति/प्रोप्रेराईटर ...., आयु–..... निवासी–..... (म0प्र0) (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक ....को निष्पादित किया जा रहा है :–

1) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता द्वारा इन्दौर संयंत्र से संचालित होकर सॉची घी का वितरण इन्दौर के समस्त वितरण केन्द्रों तक पहुॅचाने के लिए ई–निविदा मे परिवहन दर रू. ..... प्रति लीटर/प्रति किलो स्वीकृत की गई है।

2) ..... द्वारा ई–निविदा की शर्त अनुसार प्रतिभूति राशि पेटे एम.आर. नं. Bank 2021-22/..... राशि रूपये 50.00 लाख आर.टी. जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे एवं राशि रू. 50.00 लाख की बैंक ग्यारंटी इन्दौर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय जमा किए गए है। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। सॉची घी विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी।

3) यह अनुबंध, पूर्णरूप से व्यवसायिक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को **एक माह** के पूर्व सूचना पर कार्य समाप्त करने हेतु नोटिस जारी करने हेतु पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नही करना चाहता है तो उसे **एक माह** पूर्व लिखित रूप से अग्रिम सूचना द्वितीय पक्ष को देना होगा। किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

4) घी सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। प्रथम पक्ष द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि मे संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्त एवं पूर्व निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्षो हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। प्रथम पक्ष द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।

5) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।

6) यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय, इन्दौर को होगा।

7) समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र इंदौर ही होगा।

8) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो जमानतदार द्वितीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामें के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।

9) यह कि भविष्य में प्रतिभूति राशि वापसी का आवेदन प्रथम पक्ष को नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय पक्ष को यह राशि वापस की जाएगी।

10) यह कि द्वितीय पक्ष को घी विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिए जावेंगे। जिसकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान मे विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश मे उल्लेखित किए गए है।

11) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा यदि वर्तमान विक्रयको डेढ गुणा या जो भी लक्ष्य दिए जाते है, को प्रापत करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव मे जो भी राशि मार्जिन के रूप मे सुपरस्टॉकिस्ट को दी जावेगी, उसकी 50 प्रतिशत राशि जप्त कर सुपरस्टॉकिस्ट की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

12) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर घी विक्रय लक्ष्य की समीक्षा की जावेगी, समीक्षा पश्चात सुपरस्टॉकिस्ट (घी) एजेंसी आगे ओर बढ़ाई जाना है, अथवा नही का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमे मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमे द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नही रहेगा।

13) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा घी वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित मे प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार घी उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिए जाने पर उसमे किसी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा मे संशोधन नही किया जावेगा।

14) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ से उठाई गई घी की मात्रा का लेखा जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा मांग किए जाने पर डी.एम. एवं गेटपास की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

15) यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले घी पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमे किसी भी प्रकार का सहयोग नही देगा।

16) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित घी के सेंपल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट उन्हे सील बंद इकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति मे खुल्ला घी नही देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा। साथ ही सेंपल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियॉ भी कार्यालय मे 03 घण्टे की समय अवधि मे देना अनिवार्य होगी।

17) यह कि द्वितीय पक्ष ''सॉची'' घी विक्रय हेतु अधिकृत सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त है, अतः छोटे–छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बना कर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड घी विक्रय वृद्धि मे सहायता मिलती रहे।

18) यह कि उक्त अनुबंध दोनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील/बंधनकारी रहेगा।

19) यह कि उपरोक्त शर्तों मे व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमे द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट पक्ष की सहमति भी ली जावेगी।

20) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

21) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दुग्ध पदार्थ प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि शामिल नही होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसा करना होगा।

22) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची घी के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2017 या उसके बाद के मॉडल) की व्यवस्था भी करना होगी।

23) सुपरस्टॉकिस्ट को सॉची घी प्रदाय करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।

24) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा।

25) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (घी) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।

26) दुग्ध संघ से क्रय किए गए सॉची घी की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

27) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपर स्टाकिस्ट को स्वयं के व्यय से करना होगी।

28) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

29) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

30) सुपरस्टॉकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची घी विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगें। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होगें।

31) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

32) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उनकी मांग एवं दुग्ध संघ में उपलब्धता अनुसार सॉची घी का प्रदाय विभिन्न पैकिंग में करेगा, जिसे द्वितीय पक्ष उसी ईकाई/केस/कार्टून अनुसार वितरको को प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। खुला घी विक्रय नहीं करेंगे।

33) प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची घी विक्रय का वितरण समान रूप से सुपर स्टॉकिस्ट की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से सॉची घी की आपूर्ति करेंगे एवं इस बात की तस्दीक करेंगे की द्वितीय पक्ष द्वारा मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जान बूझकर लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट निरस्तीकरण का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34) यह कि द्वितीय पक्ष को सॉची घी विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

35) प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा की वह द्वितीय पक्ष के कार्य की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा तथा उसी अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट कार्य अवधि बढ़ाई जाना है अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा, वृद्धि प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।

36) द्वितीय पक्ष द्वारा सॉची घी वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घंटे के पूर्व नियम समय अवधि तक लिखित में प्रस्तुत करनी होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जाएगा।

37) द्वितीय पक्ष दुग्ध उत्पाद प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से सामग्री द्वितीय पक्ष अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात् किसी भी शिकायत को मान्य नहीं किया जाएगा।

38) द्वितीय पक्ष द्वारा सॉची घी वितरण का कार्य स्वयं के व्यय से परिवहन करना होगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सॉची घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।

39) द्वितीय पक्ष के वितरण वाहन को किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरिक्षण किया जा सकता है। यदि आकस्मिक निरिक्षण के दौरान वितरण वाहन में आपत्तिजनक/प्रतिबंधित वस्तुएं एवं प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दुग्ध उत्पाद अथवा अन्य चीजे पायी जाती है तो द्वितीय पक्ष को तत्काल ब्लेक लिस्टेड कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेंगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित द्वितीय पक्ष की होगी ।

40) द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में कार्य प्रारंभ करने के उपरांत इस कार्य को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। यदि अनुबंध अवधी के दौरान तत्संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा जाँच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर, द्वितीय पक्ष ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।

41) **भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।**

42) **यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष का स्टॉफ कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष तत्काल ऐसे स्टॉफ को कार्य से पृथक करेगे अन्यथा द्वितीय पक्ष या इनके स्टॉफ द्वारा अनुशासनहीनता करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।**

43) **डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेयरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 1000/– का द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।**

44) **उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ सुरक्षित रखता है।**

45) **द्वितीय पक्ष अनुबंध की सभी अथवा किसी भी नियम एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए इन्दौर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई सुरक्षा निधि निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण प्रथम पक्ष को होने वाली क्षतियों एवं हानियों की क्षतिपूर्ति को प्रथम पक्ष द्वारा मांग करने पर द्वितीय पक्ष को तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो कि द्वितीय पक्ष से वसूल की जानी है, के लिये प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।**

46) **प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष लोडिंग वाहन के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को नहीं ले सकेगा।**

47) अनुबंध के उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र के प्रप्रत्र क्र 02 में उल्लेखित शेष नियम एवं शर्ते इस अनुबंध के भाग माने जावेंगे जो की द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी/स्वीकार होगा।

48) उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष की सहमति बंधनकारी होगी।

49) **उपरोक्त अनुबंध के शर्तो के अलावा ई–निविदा मे उल्लेखित समस्त शर्तें एवं समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिए जाऐंगे इस अनुबंध के भाग माने जाऐंगे।**

50) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

51) किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।

यह कि मैं/हम ..... यह कि मेरी/हमारी निविदा अवधि मे यदि मृत्यु होती है तो मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को अपना उत्तराधिकारी विधिसम्मत घोषित करता/करती हूँ।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तो को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

गवाह– **हस्ताक्षर**

1. हस्ताक्षर

नाम– ..... **प्रथम पक्ष**

पता– .....

.....

आधार कार्ड नं. ..... द्वितीय पक्ष

.....

मो.नं.....

2. नाम– .....

पता– .....

.....

आधार कार्ड नं.– .....

.....

मो.नं. .....

जमानतदारनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री ..... . आयु..... मे है कि, मैं ..... विभाग/संस्था..... .....पद..... स्थान.....में कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर) एवं द्वितीय पक्ष, श्री/श्रीमती/मेसर्स ..... आयु ..... निवासी ..... के बीच आज दिनांक .... को सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये ..... तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाह–:

1. नाम–
   पता–
   आधार कार्ड नं
   मो.नं.
2. नाम–
   पता–
   आधार कार्ड नं.
   मो.नं.

जमानतदार
हस्ताक्षर
नाम– .....
पता– .....
.....
आधार कार्ड नं. .....
मो.नं.

जमानतदारनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री .... आयु..... मे है कि, मैं ..... विभाग/संस्था..... .....पद..... स्थान..... में कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर) एवं द्वितीय पक्ष, श्री/श्रीमती/मेसर्स ..... आयु ..... निवासी ..... के बीच आज दिनांक ..... को सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये ..... तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे सॉची घी सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाह–:

1. नाम–
   पता–
   आधार कार्ड नं
   मो.नं.
2. नाम–
   पता–
   आधार कार्ड नं.
   मो.नं.

जमानतदार

हस्ताक्षर

नाम– .....

पता– .....

.....

आधार कार्ड नं. .....

मो.नं.